

भाग होने के कारण, कृषि सर्वशास्त्र में अध्ययन और अनुसन्धान करने वाले विषयविद्यालयों, सरकारी विभागों और अनुसन्धान शालाओं से प्रार्थना की थी कि वे इस सम्मेलन में निमन्त्रण देने के लिये कृषि सर्वशास्त्रियों के नामों का सुझाव दें।

**Shri Subodh Hansda:** What is the benefit that has accrued from this conference?

**Shri M. V. Krishnappa:** It is a conference of international agricultural economists and professors who are very learned men in their field and the very meeting of such great professors on Indian soil—for the first time they have met in Mysore in India—we feel, when they put their heads and pool their resources together, will be very much beneficial.

**Shri Shree Narayan Das:** May I know whether there is any national conference of this nature associated with this international conference and, if so, what is that body?

**Shri M. V. Krishnappa:** There is a Society of Indian Agricultural Economics. The Government of India and the Society of Indian Agricultural Economics acted as hosts to this conference.

**Shri Tangamani:** How many Indian agricultural economists were invited to this conference as delegates or as observers?

**Shri M. V. Krishnappa:** About 63 of them had been invited and more than 50 had taken part in the conference.

दिल्ली में भूमि की चकबन्दी

\*६५६. श्री नवल प्रभाकर: क्या साक्ष तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने गांवों में भूमि की चकबन्दी हो चुकी है; और

(ख) बाकी गांवों में चकबन्दी का काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री श्री० बं० कुण्डन्पा) :  
(क) २१०.

(ख) बाकी गांवों में भंगले विल बर्ष के शुरू में भूमि की चकबन्दी का काम आरम्भ करने की उम्मीद है और उसके बाद लगभग दो वर्षों में यह पूरा होगा।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूँ कि जब यह चकबन्दी का काम शुरू किया गया था तो क्या उसके लिये कोई नियम बनाये गये थे ?

साक्ष तथा कृषि मंत्री (श्री प्र० प्र० जैन): चकबन्दी के लिये पहले से नियम बने हैं।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूँ कि जब नियम बना लिये गये थे और उनमें बीच में रास्ता छोड़ने की बात थी, तो दिल्ली में चकबन्दी करते वक्त जो बहुत से गांवों में रास्ते नहीं छोड़े गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री प्र० प्र० जैन: यह मैं नहीं कह सकता कि रास्ते नहीं छोड़े गये। जरूर छोड़े गये होंगे। लेकिन यह इतनी तफसील की बात है कि मेरे लिये इसका जवाब देना असम्भव है।

श्री स० न० बनर्जी: जिस तरह से यह चकबन्दी का कार्य किया जा रहा है उसके खिलाफ काफी आवाज सिर्फ दिल्ली में नहीं उठ रही है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी है। तो क्या प्रांतीय सरकारों ने धाम के पास इस बारे में कुछ लिखा है और क्या वह धाम के जेरे गौर है ?

श्री प्र० प्र० जैन: चकबन्दी का काम पूरा राज्य सरकार के हाथ में है। हम ने तो सानी उन से इस बात की सिफारिश की है कि चकबन्दी जल्दी से जल्दी करें, किस तरह से करें, क्या उस के नियम हों, किस के जरिये से करें, यह बिल्कुल उन के धरमपार में है, इस के बारे में हम कोई दखल नहीं देते।

श्री भक्त प्रबोधकर : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो चकबन्दी के अधिकारी हैं वे हर साल बचल दिये जाते हैं ?

श्री प्र० प्र० जैन : इन बातों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ ?

श्री बाल्मीकी : क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि जैसे प्रौर देशों में चकबन्दी चलती है उस में उत्तर प्रदेश में हरिजनों के रहने की जगह छोड़ी जाती है । लेकिन दिल्ली में जब कि चकबन्दी चल रही है तब उन की रिहायशी जगहों को हानि पहुँचने की सम्भावना हो गई है, और उन के लिये जगह नहीं छोड़ी जा रही है, और क्या मंत्री महोदय इस के लिये कुछ करना चाहते हैं ?

Mr. Speaker: He does not know. That is the very question that was put. So far as the details are concerned, he does not know. The hon. Member will put a separate question.

Shri P. S. Danita: For Delhi he should know.

Mr. Speaker: Every detail he may not know. A separate question may be put down.

#### Fruit and Vegetable Development Board.

+

\*961 { Shri Bhakt Darshan:  
Shri Naval Prabhakar:  
Sardar Iqbal Singh:

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 349 on the 23rd November, 1956 and state the progress so far made by the Fruit and Vegetable Development Board which was set up under the Indian Council of Agricultural Research?

The Deputy Minister of Agriculture (Shri M. V. Krishnaappa): A Fruit and Vegetable Development Committee was constituted in December, 1956, in order to deal with matters of

general policy in respect of research development, marketing and preservation of fruits, vegetables and flowers. Two meetings of this Committee have so far been held, the first in March, 1957 and the second in December, 1957. The status of this Committee has now been raised to that of a Board and it has been redesignated as 'Horticulture Development Board'.

Shri Jagdish Awasthi: The original question was put in Hindi. He should reply in Hindi.

Mr. Speaker: He wants the Hindi answer.

श्री प्र० प्र० जैन . फल, सब्जी, और फूलों के अनुसन्धान, विकास, पणन और परिग्रहण सम्बन्धी सामान्य नीति के मामलों पर कार्य करने के लिये दिसम्बर १९५६ में एक फल और सब्जी विकास समिति बनाई गई थी । इस समिति की अभी तक दो बैठके हुई हैं. पहली मार्च, १९५७ में और दूसरी दिसम्बर, १९५७ में । अब इस समिति का पद एक बोर्ड का कर दिया गया है और इसका नाम "उद्यान विकास बोर्ड" कर दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूँ कि जो पहले वह समिति थी और अब उसे बोर्ड बना दिया गया है, उस ने क्या मारे देश में फल और तरकारियों के विकास के लिये कोई ठोस योजना बनाई है. और अगर बनाई है तो उस की रूप रेखा क्या है ?

श्री ० श्री ० बं० कृष्णाया . उस के उद्देश्य में टेबल पर रखता हूँ ।

श्री भक्त दर्शन . मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बोर्ड के पास कोई धनराशि रखी गयी है ताकि वह मोचे या राज्य सरकार की सहायता से इस काम को आगे बढ़ाये । और यदि रखी गयी है तो इस काम के लिये कितनी रकम है ?

श्री प्र० प्र० जैन . यह बोर्ड इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नीचे